"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गज़ट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 547] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 12 दिसम्बर 2013—अग्रहायण 21, शक 1935

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 12 दिसम्बर 2013

अधिसूचना

क्रमांक एफ 3-13/2013/1/एक. — छत्तीसगढ़ के राज्यपाल ने डॉ. रमन सिंह को राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है.

क्रमांक एफ 3-13/2013/1/एक. —डॉ. रमन सिंह ने, जो कि राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए हैं, संविधान के अनुच्छेद 164 के खण्ड (3) के अनुसार गुरुवार, दिनांक 12 दिसम्बर, 2013 को पूर्वान्ह में पद तथा गोपनीयता की शपथ ली और अपना पद ग्रहण किया. इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री तथा मंत्रि-परिषद् के अन्य सदस्यगण अपने पदभार से कार्यमुक्त हुए.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुनिल कुमार, मुख्य सचिव.

रायपुर, दिनांक 12 दिसम्बर 2013

क्रमांक एफ 3-13/2013/1/एक.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 12 दिसम्बर, 2013 का अंग्रेजी अनुवाद छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुनिल कुमार, मुख्य सचिव.

Raipur, the 12th December 2013

NOTIFICATION

No. F 3-13/2013/1/one.— The Governor of Chhattisgarh has been pleased to appoint Dr. Raman Singh as the Chief Minister of the State.

No. F 3-13/2013/1/one.— Dr. Raman Singh who has been appointed by the Governor as Chief Minister, took Oath of his office and Oath of Secrecy, as required by clause (3) of Article 164 of the Constitution, and entered upon his office, on Thursday the 12th day of December, 2013 forenoon. Thereby the former Chief Minister and Members of Council of Ministers relinquished office.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
SUNIL KUMAR, Chief Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2013.